:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– सोनू कुमार गुर्जर आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः– 11/24

दायर दिनांक–24.06.2024

1. श्री हरिशचन्द्र पिता रूपा मीणा
2. श्री अनिला पुत्री लक्ष्मण मीणा
3. श्री कन्हैयालाल पिता रूपा मीणा
4. श्रीमती अनिता पुत्री लक्ष्मण मीणा
5. श्रीमती कल्पना पुत्री लक्ष्मण मीणा
6. श्रीमती प्रकाश पुत्र लक्ष्मण मीणा
7. श्रीमती प्रमीला पुत्री लक्ष्मण मीणा
8. श्रीमती मंजु पुत्री लक्ष्मण मीणा
9. श्रीमती शान्ति पत्नि लक्ष्मण मीणा

निवासीयान चकधनगांव तहसील चिखली।

वादीगण

बनाम

1. श्री अम्बालाल पिता कालु मीणा
2. श्री रामचन्द्र पिता कालु मीणा
3. श्री लक्ष्मण पिता धना मीणा
4. श्री बापुलाल पिता धना मीणा
5. श्री सुरेश पिता धना मीणा
6. श्री शंकर पिता धर्मा मीणा
7. श्री प्रभु पिता धर्मा मीणा
8. श्री मोहन पिता धर्मा मीणा
9. श्री बापु पिता धर्मा मीणा
10. श्रीमती अमरी पिता धुला मीणा
11. श्रीमती केशर पत्नि धुला मीणा
12. श्रमती जमना पिता धुला मीणा
13. श्री कान्तिशंकर पिता धुला मीणा
14. श्री नन्दुलाल पिता धुला मीणा
15. श्री प्रभुलाल पिता धुलाा मीणा
16. श्री रामा पिता धुला मीणा
17. श्री लालु पिता धुला मीणा
18. श्री रमेश पिता धुला मीणा
19. श्री राजेंग पिता धुला मीणा
20. श्रीमती हुकी पुत्री धुला मीणा

    निवासीयान चकधनगांव तहसील चिखली।

21. श्री भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

दावा अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही गांव चकधनगांव के स्थायी निवासी है तथा वादीगण गरीब आदिवासी है जो मेहनत मजदुरी व काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करती है।

यह कि वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम चकधनगांव में खाता संख्या 3 खसरा नम्बर 100, 101, 102, 138, 152, 153, 154, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33 व 34 कुल खसरा 17 कुल रकबा 3.4950 है0 होकर स्थित है। जो वर्तमान में वादी संख्या 1 से 9 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है वर्तमान में हाल जमाबंदी में दर्ज नाम धना व धर्मा की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 से 9 है।

यह कि वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम चकधनगांव के खाता संख्या 3 के खसरा नम्बर 102 व 101 में वर्तमान वादीगण व उसका परिवार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे

है। वादीगण धनगांव से कुंआ मुख्य सडक से प्रतिवादीगण संख्या 10 से 20 की आराजी नम्बर 98 में से होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की आराजी संख्या 105 में होकर आते जाते है। उक्त रास्ते पर प्रतिवादीगण ने पत्थर डालकर मार्ग को अवरूद्ध कर दिया था जिस पर वादीगण ने उक्त आम रास्ता करीब 20 वर्षो से होना व लगातार उक्त रास्ते से बैलगाडी और हल लेकर आने जाने तथा उक्त रास्ते के अलावा वादीगण के खेतों में जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं होने की बात की लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने प्रतिवादीगण आए दिन वादीगण के साथ उक्त रास्ते से आने जाने के दौरान झगडा करते है। व आवाजाही के रास्ते पर निर्माण करने व रास्ता बंद करने की लगातार धमकी दे रहे है। जिससे वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।

यह कि वादीगण की ग्राम चकधनगांव के खाता संख्या 3 से खसरा नम्बर 102 व 101 कृषि भूमि पर आवाजाही का आम रास्ता जो धनगांव कुंआ मुख्य सडक से प्रतिवादीगण संख्या 10 से 20 की आराजी संख्या 98 में से होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की आराजी संख्या 105 में होकर पहूँचता है। उक्त 10 फिट चौडे आम रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर आम रास्ता कायम किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 6 से 20 लगायत की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण रावल ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 बाद तामिल अनुपस्थित इसलिए इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। 27.11.2024 को वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार चिखली से रिपोर्ट मंगवाई गई।

30.07.2025 को तहसीलदार का पत्र कमांक/राजस्व/2025/848 दिनांक 27.01.2025 द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार मौजा चकधगांव पटवार हल्का नोलियावाडा के जमाबंदी संवत 2076–79 के खाता संख्या 37 खसरा नम्बर 98 रकबा 0.1052 है0 किस्म सुखी खातेदार लालु, रामा, राजेंग, प्रभुलाल, नंदुलाल, कांतिशंकर, अभरी, जमना, हुकी पिता धुला, केसर पत्नि धुला जाति मीणा हिस्सा बराबर दर्ज है जिसमें रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुंआ का लालू, रामा, रमेश, प्रभूलाल, नंदूलाल, कांतिशकर जाति मीणा दर्ज रिकॉर्ड है। मौजा धनगांव के खाता संख्या 2 के खसरा नम्बर 105 रकबा 0.4530 है0 किस्म राकड प्र. अम्बालाल, धना, धर्मा, रामचन्द्र पिता कालू, लखमा पित्न कालु हिस्सा बराबर रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कुंआ हिस्सा रामचन्द्र, अम्बालाल पिता कालू जाति भील मीना दर्ज रिकॉर्ड है। वादी के खसरा नम्बर 100, 101, 102 रकबा कमशः 0.3802 है0 0.2508 है0 0.0243 है0 में आवाजाही कृषि कार्य हेतु प्रतिवादी खातेदार के खसरा नम्बर 98 व 105 की कृषि भूमि में से होकर गुजरना पडता है। इस हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी के खातेदारी भूमि में रास्ता दर्ज करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। मौजा चकधनगांव के मुख्य रास्ते का खसरा नम्बर 36 रकबा 0.2508 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक है इसमें पूर्व की ओर खसरा नम्बर 98 व 105 कृषि भूमि में होकर 100, 101, 102 खसरा नम्बर में पहूंचा जा सकता है। खसरा नम्बर 101, 102, 103 में कृषि कार्य करने आवाजाही हेतु ओर किसी भी खसरा नम्बर से पहूँच मार्ग नहीं है। खसरा नम्बर 98 में पश्चिम से पूर्व की ओर 20 मीटर गुणा 4 मीटर एवं इसी में 12 गुणा 4 एवं खसरा नम्बर 105 में 40 मीटर गुणा 4 मीटर भूमि कृषि कार्य करने आवाजाही हेतु पर्याप्त है।

तहसीलदार रिपोर्ट में तहसील राजस्व लेखाकार की गणना शामिल नहीं होने से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चिखली के पत्र कमांक/टीआरए/2025/462 दिनांक 01.10.2025 के द्वारा टीआरए की गणना कर प्रस्तुत की गई। गणना अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते की कुल राशि 25112/– रूपये देय है।

प्रार्थना पत्र का गहन अध्ययन किया गया। तहसीलदार चिखली के जवाब पर वादी के वाद में वर्णित पहलूओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों के आधार पर उक्त रास्ता लम्बे समय से चला आ रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के अन्तर्गत डीएलसी दी की दुगुना राशि 25112/– रूपये जमा कराने पर तहसीलदार चिखली को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तय निर्धारित राशि जमा कराने के पश्चात प्रस्ताव अनुसार मौजा चकधनगांव के खसरा नम्बर 98 में पश्चिम से पूर्व की ओर 20 मीटर गुणा 4 मीटर क्षेत्रफल **80 वर्ग मीटर** एवं इसी में 12 मीटर गुणा 4 मीटर क्षेत्रफल **48 वर्ग मीटर** एवं खसरा नम्बर 105 में 40 मीटर गुणा 4 मीटर क्षेत्रफल **160 वर्ग मीटर** भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में निम्नानुसार रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

- उक्त रास्ता को गैरमुमकिन रास्ता व सिवायचक खाता संख्या 01 में दर्ज किया जावें।
- रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होगा।
- खसरा नम्बर 98 एवं 105 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा को कम किया जावें।

अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सोनू कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
चिखली